Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 27 ▫ अंक- 283 ▫ रायपुर, गुरुवार 7 नवम्बर 2024 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

गैंगरेप के आरोपियों की याचिका खारिज, उच्च न्यायालय ने दिया पीड़िता को न्याय दिलाने का संदेश

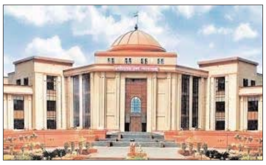

रायपुर, 7 नवम्बर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक मूक-बधिर युवती के साथ अमानवीय सामूहिक उत्पीड़न के मामले में पांच दोषियों की सज़ा को बरकरार रखते हुए न्याय का संदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने पीड़िता की सीमित संचार क्षमता के बावजूद उसकी गवाही की सच्चाई पर भरोसा जताया और फोरेंसिक व डीएनए साक्ष्यों के आधार पर सजा को पुष्ट किया। दोषी पाए गए संजीव कुमार कुजूर, सूरजदास, डोले कुजूर, कृष्ण कुमार, और गौरीशंकर को अतिरिक्त सत्र न्यायालय, बिलासपुर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 342 और 376 (डी) के तहत 25 वर्षों की कठोर सज़ा सुनाई थी। इन सभी ने उच्च न्यायालय में सज़ा को चुनौती दी थी। घटना 25 अगस्त, 2019 की है। मरवाही जिले के रतंगा बाजार से 22 वर्षीय पीड़िता का अपहरण कर उसे राजाडीह के गगनिटोला तालाब ले जाया गया था। वहां आरोपियों ने उसके हाथ-पैर बांधकर उसकी अस्मिता को रौंदा। पीड़िता किसी तरह रात में घर लौटने में सफल रही और उसने अपनी मां और मौसी को इशारों में घटना का पूरा ब्यौरा दिया, जिसके बाद पुलिस में तत्काल शिकायत दर्ज कराई गई।

अपील में पीड़िता की गवाही की प्रामाणिकता और फोरेंसिक सबूतों की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए। बचाव पक्ष के वकील, योगेंद्र चतुर्वेदी ने यह तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के तहत पीड़िता की संचार सीमाएं अभियोजन पक्ष के दावों को कमजोर बनाती हैं। इसके अलावा, डीएनए साक्ष्यों में खून के नमूनों के संग्रह में प्रक्रियागत त्रुटियों और एफआईआर में देरी का भी हवाला दिया गया। उप महाधिवक्ता, शशांक ठाकुर ने तर्क दिया कि पीड़िता की गवाही को चिकित्सा और डीएनए प्रमाणों से समर्थन मिला है, जो इस अपराध को अचूक रूप से साबित करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि पीड़िता ने संकेतों के माध्यम से आरोपियों की पहचान की और अपनी कठिनाइयों के बावजूद लगातार सच्चाई बयान की। हाईकोर्ट ने पीड़िता की विश्वसनीय गवाही और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर दोषियों की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता की गवाही, यद्यपि संकेतों और इशारों के माध्यम से थी, घटना की भयावहता को स्पष्ट रूप से उजागर करती है।

सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदल सकते : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 7 नवम्बर (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। ऐसा तब तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जब तक ऐसा निर्धारित न हो।

दरअसल, कोर्ट इस सवाल पर फैसला सुना रही थी कि क्या राज्य और उसके संस्थान प्रक्रिया शुरू होने के बाद नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बार तय किए गए नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता। पीठ में न्यायमूर्ति ह्रषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। बीच में नियमों में बदलाव करके उम्मीदवारों को हैरान-परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

बंद पड़ी जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश

कोर्ट ने एनसीएलएटी का फैसला किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी जेट एयरवेज से जुड़े मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने एयरलाइन को जालान कलरॉक कंसोर्टियम को सौंपने के एनसीएलएटी के फैसले को खारिज कर दिया और अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए एयरलाइन की परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश दिया। आइए इस फैसले के बारे में जानें। सुप्रीम कोर्ट ने बंद हो चुकी एयरलाइन जेट एयरवेज को जालान कलरॉक कंसोर्टियम को हस्तांतरित करने के एनसीएलएटी के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज की समाधान योजना को बरकरार रखने वाले एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ एसबीआई और अन्य ऋणदाताओं की याचिका स्वीकार कर ली। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज की परिसंपत्तियों को बेचने का आदेश दिया।

ब्रेकिंग न्यूज

पराली जलाने वालों पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती, अब 30 हजार रुपये तक लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर (न्यूज चैनल)। दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के प्रयासों के तहत केंद्र ने पराली जलाने वाले किसानों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है। इसके बाद अब जुर्माना 30,000 रुपये तक बढ़ सकता है। तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले नए नियमों के तहत दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दो से पांच एकड़ के बीच भूमि वाले किसानों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर पराली जलाने पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह संशोधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम 2021 के तहत वायु प्रदूषण को कम करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है। एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि नए नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 कहा जा सकता है।

तूफान से कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

नई दिल्ली, 7 नवम्बर (न्यूज चैनल)। दिवाली के बाद से ठंड ने धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच, भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर चक्रवाती तूफान के सक्रिय होने का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने और समुद्र तटीय राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 12 नवंबर तक दक्षिण और उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्र में चक्रवाती स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते 12 नवंबर तक दक्षिण भारतीय राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में 8 से 10 नवंबर के बीच छिटपुट ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

चूहा- सुनती हो, शरद पवार कह रहे हैं अब राजनीति से संन्यास लेना है। चुहिया- हां जी, वो तो अभी-अभी ही बोले थे कि उम्र कितनी भी हो जाए राजनीति नहीं छोड़ूंगा।

पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास नहीं रहे

मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

रायपुर, 7 नवंबर (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय गोपाल व्यास जी के निधन पर पुरैना स्थित निवास पहुंचे और अंतिम दर्शन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय गोपाल व्यास जी के मंशानुरूप उनका पार्थिव शरीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को दान किया जाएगा। इस दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, विधायक विक्रम उसेंडी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा व्यास छत्तीसगढ़ राजनीति के पुरोधाओं में एक थे। वे 2006 से 2012 तक छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा सांसद रहे। व्यास जी गृहस्थ रहते हुए भी महान संत थे। उनकी सरलता और सादगी ने सभी को प्रभावित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने सदैव देश व समाज हित में कार्य किया। यह देश एवं प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है।मुख्यमंत्री साय ने व्यास जी के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि मुझे अनेक अवसरों पर उनके साथ कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला। सामान्यत: किसी कार्यक्रम का शुभारंभ हम फीता काट कर करते हैं, लेकिन व्यास जी कहते थे कि मुझे यह व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगता।

जवानों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने प्लांट किया था आइईडी बम

सुरक्षाबल ने मंसूबों पर फेरा पानी

जगदलपुर/बीजापुर, 7 नवम्बर (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षाबलों ने अपनी सूझ-बूझ और विवेक से एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है. सुरक्षाबल के जवानों ने आज घने जंगल में 2 आइईडी बम बरामद कर उन्हें मौके पर ही सतर्कता पूर्वक और सुरक्षित ढंग से नष्ट कर दिया. बता दें, नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आइईडी प्रेशर स्विच सिस्टम से प्लांट किया हुआ था. ग्रामीणों पर भी इसकी चपेट में आने से जान का खतरा बना रहता है.

जानकारी के अनुसार, सुरक्षा कैंप नम्बी से 205 कोबरा, सीआरपीएफ 196 बटालियन और बस्तर बटालियन की संयुक्त टीमें आज एरिया डोमिनेशन और डीमाईनिंग के लिए उसूर थाना क्षेत्र के भूसापुर की तरफ निकली थी. इसी दौरान 205 कोबरा की ख्रष्ठ टीम ने घने जंगली इलाके में नंबी कैंप से लगभग 2.5 किमी की दूरी पर 3 किग्रा और 1.5 किग्रा के कुल दो ड्डश्वष्ठ बरामद किया.

जेल में ही रची गई थी ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की कहानी 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 अब भी फरार

बिलासपुर/जशपुर, 7 नवम्बर (हाईवे चैनल)। जशपुर जिले के बटाईकेला गांव में (स्ह्रङ्क ग्राहक सेवा केंद्र) कियोस्क बैंक में लूट और हत्या की सनसनीखेज घटना को पुलिस ने महज 16 घंटे में सुलझाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है. मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुख्यात आरोपी रवि उरांव समेत एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है. इस लूट की कहानी आरोपियों ने जेल में ही रची थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है. बता दें कि 5 नवंबर को संचू कुमार गुप्ता अपने कियोस्क बैंक में पैसे का लेन-देन कर रहा था, तभी दो आरोपी रवि उरांव और रातू राम बिना नंबर वाली बजाज मोटरसाइकिल से आए. चॉकलेट और पानी खरीदने के बहाने दोनों बैंक के अंदर घुस गए. रवि उरांव ने कट्टा निकाला और संचू से पैसे डालने को कहा. विरोध करने पर उसने कट्टे के बट से संचू के सिर पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया. इसी दौरान संचू की दादी उर्मिला बाई बीच-बचाव करने आईं और रवि ने उन पर भी फायर कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद दोनों आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की ओर भाग गए. घटना के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी. इस दौरान घटनास्थल के आसपास नाकेबंदी की और 11 पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. वहीं एक पूर्व अपराधी रवि उरांव के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के मालिक से पूछताछ की और इस मामले को सुलझाने का अहम सुराग मिला. मामले में अब तक दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि कुख्यात आरोपी रवि उरांव समेत एक अन्य आरोपी फरार है, दोनों की तलाश जारी है. इस मामले में थाना कांसाबेल में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है. लूट और हत्या के मामले में पुलिस जब मुखबीर सूचना पर आरोपी रातु राम के घर पहुंचकर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया. इस दौरान शुरूआती पूछताछ में तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, परंतु मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर समस्त घटना क्रम स्वीकार करते हुए अपना अपराध स्वीकार किया।

जम्मू-कश्मीर विस में बवाल, 370 के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत, धक्का-मुक्की

नई दिल्ली, 7 नवम्बर (न्यूज चैनल)। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज काफी हंगामा हो रहा है। अनुच्छेद 370 को लेकर सदन में हाथापाई होने लगी। हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी। जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि जो वेल में आए उनको बाहर निकालो। मर्शलों ने कुछ भाजपा विधायकों को विधासभा से बाहर निकाला। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और लेंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। बैनर को देखकर भाजपा के विधायक भड़क गए और उन्होंने उनके हाथ से उस पोस्टर को छीन लिया। भाजपा विधायकों ने शेख खुर्शीद के हाथ से पोस्टर लेकर उसे फाड़ दिया। इस दौरान हाथापाई होने लगी और जमकर हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा और हाथापाई के बाद सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सदन स्थगित होने के बाद भी भाजपा सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा।

धारा 370 के लिए प्रस्ताव पास करना देश तोड़ने की मानसिकता : स्मृति

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अनेक दल लगातार भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी इसको दोबारा वापस लाने के लिए कांग्रेस गठबंधन के द्वारा जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव पास करना देश को तोड़ने की मानसिकता दिखाता है। इस अनुच्छेद के निरस्त होने से जम्मू-कश्मीर के दलितों-आदिवासियों को आरक्षण सहित अनेक अधिकार मिले हैं, लेकिन इसे वापस लाने की इंडिया गठबंधन की सोच दलितों-आदिवासियों के विरुद्ध है।

50 साल पुरानी मस्जिद गिराने का आदेश

मुस्लिम शख्स ने की थी शिकायत

4.12 लाख का जुर्माना भी लगा

नई दिल्ली, 7 नवम्बर (न्यूज चैनल)। यूपी के बागपत जिले में 50 साल पुरानी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया गया है, जिसके पीछे की वजह तालाब पर कब्जा है। मुस्लिम शख्स गुलसार ने इसके खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस भेजा गया है और 4.12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गांव के लोगों में इस फैसले के बाद आक्रोश है और वे कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं।

यह मामला जिले के कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के राजपुर खामपुर गांव में हुई है. जहां गुलसार नाम के शख्स ने शिकायत थी कि गांव में तालाब की जमीन पर कब्जा किया हुआ हैं। आरोप हैं कि शिकायत के बाद कुछ लोगों ने उस पर हमला भी किया था। वहीं जिस तालाब पर कब्जे की शिकायत उसके द्वारा की गई थी उसकी ज़द में 50 साल पुरानी टकिया वाली मस्ज़िद भी हैं जिसका विस्तार अवैध कब्जें पर किया गया है। साथ ही इस जमीन पर कई मकान भी बने बने हैं। गुलसार के मुताबिक 5 साल पहले उसने शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन राजस्व विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की जिसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली। और अब कोर्ट के एक्शन के बाद अवैध कब्जे को गिराया जाएगा जिसमे टकिया वाली मस्जिद भी शामिल हैं। वहीं मस्जिद गिराने के आदेश के बाद गांव में मुस्लिम समजा के लोगों में आक्रोश हैं, और उन्होंने कोर्ट जाने की बात कहीं है। वहीं फिलहाल मस्ज़िद के मुतवल्ली को नोटिस भेजा गया है, साथ ही 4.12 लाख का अर्थदंड भी लगाया है।

फिलहाल कम नहीं होगी होम लोन और कार लोन की ईएमआई

आरबीआई ने बताई ये बड़ी वजह

नई दिल्ली, 7 नवम्बर (न्यूज चैनल)। यदि आप अपने होम लोन और कार लोन की ईएमआई कम होने की उम्मीद कर रहे हैं, तो फिलहाल आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने स्पष्ट किया है कि महंगाई की उच्च दरों को देखते हुए आरबीआई फिलहाल ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करेगा।

आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद ही बैंक होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन और शिक्षा लोन पर ब्याज दरों में कमी का फैसला लेते हैं। गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि अक्टूबर में महंगाई दरों में वृद्धि का अनुमान है, और बढ़ी हुई महंगाई के बीच ब्याज दरों में कटौती को जोखिम के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब है कि फिलहाल होम लोन और ऑटो लोन पर ईएमआई में कोई कमी नहीं होगी। आरबीआई ने पिछले 2 सालों से ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की है। हालांकि, अक्टूबर में हुई मौद्रिक नीति बैठक के दौरान कुछ बदलाव की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन आरबीआई के गवर्नर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ब्याज दर यथास्थित रह सकती है।